न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 37/2017

1. मदनलाल
2. मेनाराम पुत्रगण चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

— वादीगण--

बनाम

1. रतनाराम पुत्र सुरताराम
2. हणमानराम पुत्र सुखाराम
3. प्रभाती देवी पुत्री सुखाराम

समस्त जाति बलाई निवासी रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

4. घीया देवी बेवाह रामेश्वर
5. सोहनलाल पुत्र रामेश्वर
6. ओमशंकर पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर बहैसियम भूमिधारी

— प्रतिवादीगण —

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अं0 धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 ले0रे0 एक्ट

उपस्थित वकील वादी — श्री सागरमल धायल

वकील प्रतिवादी — श्री महेन्द्र सुण्डा

निर्णय

दिनांक — 30.10.2019

वकील वादीगण श्री सागरमल धायल ने यह दावा प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 480 रकबा 1.24 है. एवं 481 रकबा 1.35 है0 किता 2 रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है। खं. नं. 205 व 229 का कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बर 479 रकबा 1.74 है0 भी रैवासी ग्राम में स्थित है। ख. नं. 480 व 481 गत खसरा नम्बर 272 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा से व खसरा नम्बर 479 गत खसरा नम्बर 271 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा से बनना वर्तमान सेटलमैण्ट में बताये गये है जबकि मौके पर कब्जा काश्त व अधिकार के अनुसार गत ख. नं. 272 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा का वर्तमान खं. नं. 479 रकबा 1.74 है0 ख. नं. 480 रकबा 1.24 है0 व गत खसरा नम्बर 271 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा का वर्तमान खं. न. 481 रकबा 1.35 है0 है।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

खसरा नम्बर 480, 479 का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 ने एक प्लाट बना रखा है व ख0 नं0 479 में अपनी आवासीय पुख्ता गुवाड़ी बना रखी है व सिचांई हैतु अपने पड़ोस से पलास्टिक की पाईप लाईन ले रखी है । अपने पूर्वजों से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का गत खसरा नम्बर 272 मीन रहा है जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 481 रकबा 1.35 है0 है पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कब्जा व अधिकार पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है। सेटलमेण्ट ने लापरवाही से ख. नं. 479 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता सुखाराम के हक में अंकित कर दी व इसी भांति खं. नं. 481 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज होते हुऐ भी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के हक में अंकित कर दी । यह गलती सेटमेण्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है जो वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। जिसे दुरूस्त करवाने का प्रतिवादीगण को कहा तो इन्कार हो गये । अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आराजी ख0 नं0 479 रकबा 1.74 है0 तन ग्राम रैवासी का वादीगण संख्या 1 व 2 का 2/3 भाग का व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व खसरा नम्बर 481 रकबा 1.35 है0 में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की खातेदारी हटाई जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 भाग का व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/2 भाग का काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2,4 ता 7 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 जरिये वकील उपस्थित । राजीनामा पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार धोद से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जो पत्र क्रमांक भू0अ0/1858 दिनांक 15.7.2019 द्वारा भिजवाई गई।

प्रकरण में बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई । वकील उभय पक्ष ने रिकार्ड के आधार पर व कब्जा काश्त के आधार पर दावा स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का, रिपोर्ट तहसीलदार धोद एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का बगौर अवलोकन किया । ग्राम रैवासी की जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 205, 229, 480 व 481 किता 4 कुल रकबा 4.32 है0 की खातेदारी मदनलाल, पेमाराम पि. चुन्नीलाल हि. 2/3 हि.ब, घीयादेवी बेवा रामेश्वर,सोहनलाल, ओमशंकर पुत्रगण रामेश्वर हि. 1/3 हि0 ब. कौम ब्राहम्ण सा. देह के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 201 व 479 किता 2 कुल रकबा 2.28 है0 की खातेदारी सतनाराम पुत्र सुरताराम हि. 1/2, हणमानाराम पुत्र सुखाराम, प्रभाती देवी पुत्र सुखाराम जाति बलाई मेघवंशी हि0 1/2 हि0 ब0 के नाम दर्ज है। वाद के तथ्यों

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण में खसरा नम्बर 479 रकबा 1.74 है0 व 481 रकबा 1.35 है0 का विवाद है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 479 रकबा 1.74 है0 गत खसरा नम्बर 271 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा से बना है तथा खसरा नम्बर 481 रकबा 1.35 है0 व 480 रकबा 1.24 है0 गत खसरा नम्बर 272 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा से बना है। जमाबंदी सम्वत 2015–18 में खसरा नम्बर 272 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में चुन्नीलाल पुत्र कुसालीराम कौम ब्राहम्ण सा.देह बकाश्त चुन्नीलाल मजकूर 3 बीघा 15 बिस्वा व सुरता पुत्र बगसा कोम बलाई 7 बीघा 4 बिस्वा दर्ज है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 272 की संयुक्त खातेदारी दर्ज थी। खसरा नम्बर 271 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में सुरता पुत्र बगसा कोम बलाई सा.देह बकाश्त चुन्नीलाल पुत्र कुसालीराम कोम ब्राहम्ण सा. देह दर्ज है । इस प्रकार से स्पष्ट है कि खातेदारी तो सुरता पुत्र बगसा कोम बलाई के नाम से थी तथा काश्त चुन्नीलाल पुत्र कुसालीराम कोम ब्राहम्ण की थी। जमाबंदी सम्वत 2019 से 22 में खसरा नम्बर 272 में 7 बीघा 4 बिस्वा में चुन्नीलाल खातादार मजकूर मारफत सुरता पुत्र बगसा जाति बलाई सा. देह दर्ज है तथा 3 बीघा 15 बिस्वा में में चुन्नीलाल पुत्र कुशालीराम जाति ब्राहम्ण सा. देह बकाश्त खुद दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 19 में जमाबंदी सम्वत 2015–18 के अंकन अनुसार ही दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2031–34 में खसरा नम्बर 272 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी में मदनलाल, रामेश्वर, पैमाराम पि. चुन्नीलाल कौम ब्राह. सा. देह बहि0 बराबर दर्ज है तथा खसरा नम्बर 271 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में सुरता पुत्र बक्सा जाति बलाई सा. देह दर्ज है। मिसल हकियत में खसरा नम्बर 272 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी चुन्नीलाल वल्द कुसालीराम कौम ब्राहम्ण सा. देह खुदकाश्त तथा ख. नं. 271 में खातेदारी चुन्नीलाल वल्द कुसालीराम खुद काश्त वाले कालम में सुरता वल्द बक्सा कौम बलाई सा. देह दर्ज है। उपर्युक्त रिकार्ड के आधार पर यह प्रमाणित है कि गत खसरा नम्बर 271 पर काश्त चुन्नीलाल पुत्र कुशालीराम जाति ब्राहम्ण की रही है। गत खसरा नम्बर 272 में 7 बीघा 4 बिस्वा में काश्त सुरता पुत्र बगसा जाति बलाई की रही है। गत खसरा 272 के नये खसरा नम्बर 480 रकबा 1.24 है0 एवं 481 रकबा 1.35 है0 बने है जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की खातेदारी में दर्ज हैं। रिपोर्ट तहसीलदार धोद के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भी नये खसरा नम्बर 479 की खातेदारी तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है परन्तु मौके पर कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का है तथा खसरा नम्बर 481 की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम दर्ज है तथा कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा भी पेश किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि खातेदारी गलत दर्ज करने में सेटलमेण्ट द्वारा लापरवाही हुई

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

है जो कि दुरूस्तनीय है। इसलिये प्रकरण में धारा 42 का उल्लघन भी नहीं होता है।

आज्ञा

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 479 रकबा 1.74 है0 का वादी संख्या 1 व 2 को 2/3 हिस्से का , प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 481 रकबा 1.35 है0 का प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम हजफ किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 30.10.19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर